

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व परखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या:- २३/२५

दिनांक:- ३१/०२/२५

उनवान

श्री शिवजीलाल पुत्र

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार

चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

लूणीराम रेगडरि

चौथ का बरवाड़ा

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का चौथ का बरवाड़ा भू अ. नि. चौथ का बरवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम चौथ का बरवाड़ा प. ० ह. ० चौथ का बरवाड़ा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 60 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	श्रीमोक्षी पुत्र लूनीराम पिता का नाम शिवजीलाल पुत्र लूनीराम दि. ३ जाति रेगडरि वस्त्र के नाम शिवजीलाल पुत्र लूनीराम शुद्धि	श्रीमोक्षी पुत्र लूनीराम शिवजीलाल पुत्र लूनीराम जमाबन्दी	शिवजीलाल पुत्र लूनीराम (शिवजीलाल पुत्र लूनीराम)

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स. ० मा. ०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री शिवजीलाल पुत्र लूनीराम

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स. ० मा. ०)

